

॥ कार्यालय कलक्टर गढ़वाल ॥

संख्या 26/आठ-भू0अ0 (2016-17) पौड़ी दिनांक 01 फरवरी, 2018

नाम-

ग्राम- ढामक, तहसील श्रीनगर, जनपद गढ़वाल।

हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 783/XVIII(3)/2017-02(61)/2017 दिनांक 09 नवम्बर 2017 के क्रम संख्या 115 इके क्रम में, कलक्टर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 21 के अधीन सार्वजनिक सूचना, दिनांक 08 दिसम्बर 2017 जो कि दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गई कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना हेतु निम्न वर्णित भूमि की आवश्यकता है:-

खाता संख्या	सर्वेक्षण संख्या I	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे०में)	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
					उ०	द०	पू०	प०	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	49	संयुक्त	कृषि	0.078	49/277	50	49/279	सीमा पन्त गांव	-	-	-	-
योग	1	-	-	0.078	-	-	-	-	-	-	-	-

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

वृन्दावन 197हि० रूद्रमणी 94हि० गणेश प्रसाद 196हि० पुत्रगण मोतीराम, रघुनाथी 0हि० पत्नी घनानन्द अनुसूया प्रसाद 197हि० पुत्र सत्यप्रसाद, सूर्यप्रकाश 96हि० पुत्र सत्यप्रसाद, रम्मादेवी 98हि० पत्नी रतनमणी, वीरेन 98हि० पुत्र रतनमणी, प्रेमवल्लभ 196हि० पुत्र बुद्धिवल्लभ, अनुसूया प्रसाद 214हि० सूर्यप्रकाश 214 पुत्रगण सत्यप्रसाद, विशालमणी 595हि० पुत्र चन्तामणी, रमेशचन्द्र 532हि० पुत्र चिन्तामणी, शकलानन्द चमोली 59हि० पुत्र सुरेशानन्द, शाकाम्बरी देवी 3हि० पत्नी मगनानन्द, उम्मेदसिंह 214हि०, हरिसिंह 214हि०, रणजीत सिंह 213हि० पुत्रगण चन्द्रसिंह, सुरेशचन्द्र 64हि०, नरेशचन्द्र 64हि० पुत्रगण चन्द्रमणी, पंजक कुमार 14हि० पुत्र जनार्धन, धनेशवर्द्धन प्रसाद 14हि० पुत्र उर्वीदत्त, कुलदीप कुमार 23हि० प्रदीप 23हि० पुत्रगण मोहनलाल, शकुशल प्रसाद 114हि०, गुरुप्रसाद 4हि० पुत्रगण रामप्रसाद, शान्ति 81हि०, भजनी 0हि० पत्नी मुकन्द सिंह, गणेश प्रसाद 47हि० रामचरण 46हि० पुत्रगण शिवचरण, आशा देवी 14हि० पत्नी फरशुराम उर्फ पुरुषोत्तम, आदित्य 14हि० विनय कुमार 14हि० विजय राम 14हि० अनन्त राम 13हि० मुकेश 13हि० भरतराम 13हि० पुत्रगण फरशुराम उर्फ पुरुषोत्तम, उत्तम भण्डारी 17हि० पुत्र गुमानसिंह घनानन्द 385हि० पुत्र कंटूराम, विजया देवी 32हि० पत्नी धर्मानन्द, रेनू भट्ट 32हि० पत्नी प्रेम प्रकाश, धन सिंह 38 हि० पुत्र विजयसिंह, आशा चमोली 110हि० पत्नी बृजमोहन ग्रा०नि० कुल 4630 हि०

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि शासन का आशय उपर्युक्त वर्णित भूमि पर कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये उपरोक्त वर्णित भूमि में या उसके किसी भाग में, अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के, उनकी आपत्तियों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बन्ध में, उनके आक्षेपों के साथ; पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे, सहस्वतधारी, उपस्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा कोई हित रखने वाले के रूप में इस घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन की अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय कलक्टर गढ़वाल, स्थान पौड़ी को व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कर सकते हैं।

ऐसे सभी दावे लिखित में किये जायेंगे तथा पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध है, हितों की प्रकृति तथा भूमि में इस घोषणा की प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ की सूचना का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(रामजी शरण शर्मा)
कलक्टर गढ़वाल
(वास्ते भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)

॥ कार्यालय कलक्टर गढ़वाल ॥

संख्या 27()/आठ-भू0अ0 (2016-17) पौड़ी दिनांक 01 फरवरी, 2018

नाम-

ग्राम- ढामक, तहसील श्रीनगर, जनपद गढ़वाल।

हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 783/XVIII(3)/2017-02(61)/2017 दिनांक 09 नवम्बर 2017 के क्रम संख्या 115 के क्रम में, कलक्टर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 21 के अधीन सार्वजनिक सूचना, दिनांक 08 दिसम्बर 2017 जो कि दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गई कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना हेतु निम्न वर्णित भूमि की आवश्यकता है:-


खाता संख्या	सर्वेक्षण संख्या I	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे0में)	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
					उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	68	संयुक्त	कृषि	0.045	59/78	372	69	52	-	-	-	-
योग	1	-	-	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता												
सकलानन्द चमोली 20 हि0 पुत्र सुरेशानन्द, भगवती प्रसाद 397 हि0 पुत्र शंकरदत्त, संजय कुमार पुत्र शिवप्रसाद, उत्तम सिंह भण्डारी पुत्र गुमान सिंह अन्दर 532हि0, कुसलानन्द 237 हि0 अचलानन्द 237 हि0 सकलानन्द 237 हि0 पुत्रगण सुरेशानन्द, गणेशप्रसाद 48 हि0 रामचरण 48 हि0 पुत्रगण शिवचरण जगदीश प्रसाद 97 हि0 तोताराम 97हि0 पुत्रगण तुलसीराम, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार, पुत्रगण गीताराम, लक्ष्मी देवी पत्नी गीताराम, अन्दर 97हि0, बैजन्ती 147 हि0 पुत्री बच्चू, चन्द्रकला 147 हि0 पुत्री बच्चू, ओप्रकाश 73हि0 हरीश बल्लभ 73हि0, सुनील कुमार 73 हि0 अनिल कुमार 73 हि0 पुत्रगण दयाराम, महादेव प्रसाद पुत्र शम्भूप्रसाद, उत्तम सिंह भण्डारी पुत्र गुमान सिंह अन्दर 777हि0, राजेन्द्र 359हि0 पुत्र पातीराम, विजेन्द्र प्रसाद 38हि0 पुत्र हरिप्रसाद, कलावती 133 हि0 पत्नी सत्यप्रसाद, जीवन प्रकाश पुत्र सत्य प्रसाद, उत्तम सिंह भण्डारी पुत्र गुमान सिंह, अन्दर 133 हि0 ज्योती प्रकाश, पुत्र सत्यप्रसाद, उत्तम सिंह भण्डारी पुत्र गुमान सिंह, अन्दर 133 हि0, जयप्रकाश पुत्र सत्य प्रसाद, उत्तम सिंह भण्डारी पुत्र गुमान सिंह भण्डारी अन्दर 133 हि0 किशोरी देवी 80 हि0 पत्नी नित्यानन्द, योगेश 80हि0 नागेन्द्र 80हि0 पुत्रगण नित्यानन्द, रजनी देवी 57 हि0 पत्नी सदानन्द, शैलेन्द्र प्रकाश 57 हि0 सुमन प्रकाश 57 हि0 किशन मोहन 57 हि0 पुत्रगण सदानन्द, राजाराम 49 हि0 विजयराम 48 हि0												

पुत्रगण दाताराम, आशादेवी 13 हि० पत्नी फरसूराम उर्फ पुरुषोत्तम, आदित्य 14 हि० विजय कुमार 14 हि० विजय राम 14 हि० अनन्त राम 14 हि० मुकेश 14 हि० भरत राम 14 हि० पुत्रगण फरसूराम उर्फ पुरुषोत्तम, शकुशल प्रसाद 199 हि० गुरुप्रसाद 178 हि० पुत्रगण रामप्रसाद, पंचायती अखाड़ा महा० नि० सचिव गंगापुत्री कनखल हरिद्वार 311हि० ग्रा०नि० कुल 5378 हि०

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि शासन का आशय उपर्युक्त वर्णित भूमि पर कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये उपरोक्त वर्णित भूमि में या उसके किसी भाग में, अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के, उनकी आपत्तियों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बन्ध में, उनके आक्षेपों के साथ; पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे, सहस्वतधारी, उपस्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा कोई हित रखने वाले के रूप में इस घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन की अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय कलक्टर गढ़वाल, स्थान पौड़ी को व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कर सकते हैं।

ऐसे सभी दावे लिखित में किये जायेंगे तथा पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध है, हितों की प्रकृति तथा भूमि में इस घोषणा की प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ की सूचना का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।


(रामजी श्रिवस्तवा शर्मा)
कलक्टर गढ़वाल
(वास्ते भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)